

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट सकट)

वाद संख्या :- 02/550/2015

हनुमानदास बनाम खेमचन्द वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 14.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट सकट पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 02.12.2015 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 712/0.39, 1698/0.53, 1699/0.04 है। वाके ग्राम राजपुरबडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 04.02.2016 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा अप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। प्रार्थी द्वारा बार बार मौके दिए जाने के उपरांत भी अप्रार्थीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस प्रस्तुत कर पालना नहीं की गई है। इस प्रकार प्रकरण तामील की पालना नहीं होने से वर्ष 2015 से लम्बित चल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य नहीं है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 712/0.39, 1698/0.53, 1699/0.04 है। वाके ग्राम राजपुरबडा तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 02.12.2015 का प्रचलन निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 कैम्प कोर्ट सकट पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट सकट)